उत्तर प्रदेश ब्वायलर्स नियमावली, 1969

(संशोधन विनांक 14-7-92 तक)

1—संक्षिप्त नाम -(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ब्वायलर नियमावली, 1969 कहलायेगी।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

2—परिभाषायें+विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य इंडियन ब्वायलर्स ऐक्ट; 1923 (ऐक्ट संख्या 5, 1923) से है, "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।

(ख) "मुख्य निरीक्षक", "उप मुख्य निरीक्षक", "निरीक्षक", "निरीक्षण प्राधिकारी", "निरीक्षण अधिकारी", "स्वामी", "सक्षम प्राधिकारी" और "नियत" के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और विनियमों में क्रमशः शब्द "Chief Inspector", "Deputy Chief Inspector", "Inspector", "Inspecting Authority", "Inspecting Officer", "Owner", "Competent Authority" और "prescribed" के लिये दिये गये हों।

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(घ) "विनियम" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 के अधीन सेन्ट्रल ब्वायलर्स बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियम से है।

[दिनांक 11 अक्टूबर, 1969 ई० के राजकीय गजट में वि० सं० 4792 (टी० डी०)/ 36—ए—1050 (टी० डी०)—64, दिनांक 27 सितम्बर, 1969 ई० के अन्तर्गत प्रकाशित।]

Scanned with CamScanner

3—शुल्क और परिव्यय का भुगतान—अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या नियमों के अधीन देय समस्त शुल्क या परिव्यय किसी सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा किये जायेंगे। सरकारी ब्वायलरों का शुल्क जो एक सौ रुपये से अधिक हो, खातानामें (बुक डेबिट) द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

ऐसे प्रार्थना-पत्र के संबंध में जिसके साथ कोषागार रसीद हो, यह समझा जायेगा कि उसके साथ नियत शुल्क है।

अधिनियम के अधीन निये गये समस्त शुल्कों तथा परिव्ययों का निर्वर्तन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा सरकार समय-समय पर निर्देश दे।

टिप्पणी—ब्वायलरों के निरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र 'ग' में भेजे जाने चाहिये, जिसके साथ नियत शुल्क की कोषागार रसीद भी हो और ये मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में ऐसे समय से पहुंच जानें चाहिये जैसा नीचे नियत किया गया है :—

(1) दौरे के माह में ब्वायलरों का निरीक्षण—जिस माह में उस विशेष जिले के ब्यालरों के निरीक्षण के लिये नियम 13 में दिये गये दौरे के कार्यक्रम में निर्धारित हो उसके पूर्ववर्ती माह के प्रथम दिनांक को।

(2) दौरे के माह से भिन्न माह में ब्वायलरों का निरीक्षण—प्रमाण-पत्र य अनन्तिम आदेश की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पहले।

(3) कानपुर जिले के ब्वायलरों का निरीक्षण—जिस माह में प्रमाण-पत्र समाप्त हो उसके पूर्ववर्ती माह के प्रथम दिनांक को।

4—पंजीयन और निरीक्षण शुल्क की गणना—अधिनियम की धारा 7 उपधारा (1) और धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ ऐसा शुल्क भी होगा जिसकी गणना विनियम 384 के अधीन नियत ब्वायलर रेटिंग के आधार पर की गयी हो। ब्वायलर रेटिंग की गणना करने का सूत्र (फार्मूला) विनियम 383 में दिये गये सूत्र (फार्मूला) के अनुसार होगा।

4—पंजीयन शुल्क—ब्वायलरों का पंजीयन तथा प्रथम निरीक्षण का शुल्क विनियम 385 में नियत शुल्क के अनुसार होगा।

6—शुल्क (1) धारा 8 की उपधारा 4 के अधीन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिये निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित मान के अनुसार शुल्क दिया जायेगा :—

	रु०
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 10 वर्ग मीटर से अधिक न हो	120.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 10 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 30 वर्ग मीटर से अधिक न हो	160.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 30 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 50 वर्ग मीटर से अधिक न हो	180.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 50 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 70 वर्ग मीटर से अधिक न हो	220.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 70 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 90 वर्ग मीटर से अधिक न हो	260.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 90 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 110 वर्ग मीटर से अधिक न हो	300.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 110 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 220 वर्ग मीटर से अधिक न हो	340.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 200 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 400 वर्ग मीटर से अधिक न हो	380.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 400 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 600 वर्ग मीटर से अधिक न हो	440.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 600 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 800 वर्ग मीटर से अधिक न हो	480.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 800 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 1000 वर्ग मीटर से अधिक न हो	540.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 1000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 1200 वर्ग मीटर से अधिक न हो	640.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 1200 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 1400 वर्ग मीटर से अधिक न हो	720.00

Scanned with CamScanner

	रुपया
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 1400 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 1600 वर्ग मीटर से अधिक न हो	840 00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 1600 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 1800 वर्ग मीटर से अधिक न हो	900.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 1800 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2000 वर्ग मीटर से अधिक न हो	1,000.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 2000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2200 वर्ग मीटर से अधिक न हो	1,080.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 2200 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2400 वर्ग मीटर से अधिक न हो	1,200.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 2120 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2600 वर्ग मीटर से अधिक न हो	1,260.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 2600 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2800 वर्ग मीटर से अधिक न हो	1,360.00
ब्वायलर जिसकी रेटिंग 2800 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 3000 वर्ग मीटर से अधिक न हो	1,440.00

3000 वर्ग मीटर से अधिक प्रत्येक 200 वर्ग मीटर या उसके किसी भाग के लिये 40 रुपया अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा :—

परन्तु यदि कोई स्वामी बारह मास से कम के लिये कोई स्वीकृत प्रमाण-पत्र लेने को तैयार हो जिससे कि वार्षिक निरीक्षण का दिनांक उस दिनांक के समीप हो जब उस स्थान के अन्य ब्वायलरों का निरीक्षण किया जाय तो बारह मास से कम की ऐसी अवधि के लिये जो दिनांकों को इस प्रकार समीप लाने के लिये आवश्यक है, प्रमाण-पत्र कम शुल्क पर दिया जा सकता है जिसकी गणना प्रत्येक पूरे मास के लिये साधारण शुल्क के 1/12 के हिसाब से की जायेगी। मास के किसी भाग की गणना नहीं कही जायेगी।

(2) वाष्प पाइपों के निरीक्षण के लिये शुल्क निर्माण संबंधी परिवर्तन, परिवर्द्धन या नवीनीकरण करने के बाद न कि वार्षिक निरीक्षण के समय किये गये वाष्प (स्टीम) पाइपो के निरीक्षण का शुल्क 240 रुपये है।

(2) अप्रमाणित अवधि का शुल्क—यदि स्वामी को दिये गये प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपने ब्वायलर को नहीं चलाना चाहता है तो वह इस बात की सूचना उक्त दिनांक के पूर्व मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को देगा। ऐसा न करने पर उसे अगले निरीक्षण पर नियमों के अधीन नियत शुल्क के साथ-साथ अप्रमाणित अवधि (जिसकी गणना अन्तिम प्रमाण-पत्र की समाप्ति के दिनांक से सूचना देने के दिनांक तक की जायेगी) का भी शुल्क देना पड़ेगा भले ही अप्रमाणित अवधि में ब्वायलर न चला हो। यदि स्वामी बदल जाये तो नये स्वामी को अगले निरीक्षण पर ब्वायलर निरीक्षण के प्रार्थना-पत्र के साथ नियमों के अधीन नियत शुल्क तथा अप्रमाणित अवधि का शुल्क भी देना पड़ेगा।

(4) रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में निरीक्षण या परीक्षण के लिए अतिरिक्त फीस—पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी रविवार या किसी अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिन ब्वायलर या वाष्प पाइप के निरीक्षण के लिए निरीक्षण शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है यदि ऐसा निरीक्षण स्वामी के अनुरोध पर किया जाए। इस प्रकार ली गयी अतिरिक्त फीस का भुगतान नियम 3 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा। निरीक्षक को, जो अवकाश दिनों में ऐसा निरीक्षण करता है वर्ष के अन्त में पूर्ण योग में ऐसे मानदेय का भुगतान किया जा सकता है जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करने के लिए उचित समझे।

(7)—(एक) निर्माण के दौरान निरीक्षण और परीक्षण के लिये शुल्क-(एक) निर्माणाधीन ब्वायलरों और उनके भागों के निरीक्षण के लिये वही शुल्क होगा, जो विनियम 395-क, 395-ख, 395-ग, 395-घ और 395-च में नियत है।

(दो) काष्ट माउंटिंग और फिटिंग—(क) विनियम 395-ग और 395-घ के अधीन अपेक्षित शुल्क लिया जायेगा।

(ख) संविरचित Fabricated माउंटिंग और फिटिंग—माउंटिंग और फिटिंग जिनकी संख्या 10 से अधिक न हो, के एक समूह के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिये 150 रु० का शुल्क लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निर्माता, ऐसे श्रमिकों और उपकरणों की निः शुल्क व्यवस्था करेगा, जो विनियमों के अधीन अपेक्षित यांत्रिक परीक्षणों के लिये आवश्यक हों। नियत परीक्षण के लिये सुविधाओं का प्रबन्ध न कर सकने पर निर्माता को अन्य किसी स्थान पर ऐसे परीक्षण कराने का व्यय वहन करना पड़ेगा।

Scanned with CamScanner

(ग) निर्माण की जाने वाली माउंटिंग और फिटिंग के केवल ड्राइंगों के परीक्षण का शुल्क प्रति ड्राइंग 150 रुपये होगा।

(3) निर्माणाधीन ब्वायलरों, ट्यूबों और स्वैन्टिलिंग के निरीक्षण, परीक्षण, जांच तथा प्रमाणीकरण के लिये शुल्क-भारत में निर्मित ब्वायलरों के लिये निरीक्षण-शुल्क की गणना रेगूलेशन 395 A के अधीन भी जायेगी।

(क) "रिवेटेड" निर्मित एक ब्वायलर के लिये पंजीयन शुल्क का चार गुना।

(ख) "वेल्डेड" निर्मित एक ब्वायलर के लिये पंजीयन शुल्क का चार गुना

(4) निर्माण के दौरान ब्वायलर स्कैन्टिलिंग के निरीक्षण के लिये शुल्क रेगूलेशन 395 G के अनुसार लिया जायेगा।

ट्यूबों तथा पाइपों के निरीक्षण के लिये शुल्क प्रति मीट्रिक टन या उसके किसी भाग पर 100 रुपयें के हिसाब से लिया जायेगा। (रेगूलेशन 395 A II (3)) इसके अतिरिक्त निर्माता, श्रमिकों और उपकरणों की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, जो ऐसे यांत्रिक परीक्षणों के लिये आवश्यक हो, जो निनियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार उसके या स्टील बनाने वाले तीन ट्यूब बनाने वालों के भूगृहादि में किये जांय। नियम परीक्षणों के लिये स्वयं सुविधाओं का प्रबन्ध न कर सकने पर, निर्माता को अन्य किसी स्थल पर ऐसे परीक्षण कराने का व्यय वहन करना पड़ेगा।

(5) स्थान पर संविरचना के दौरान ब्वायलरों, वाष्प पाइपों, इक्नो माइजरों और सुपरहीटर के स्कैन्टिलिंग के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिये शुल्क-विनियम 4 के खंड (बी) के अधीन अपेक्षित पर्यवेक्षण के लिये परीक्षण तथा प्रमाणीकरण का शुल्क ब्वायलर के पंजीयन शुल्क के बराबर होगा।

स्वामी या निर्माता ऐसे श्रमिकों और उपकरणों की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, जो परीक्षणों के लिये आवश्यक हों जो विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार उनके भूगृहादि में किये जायं। नियत परीक्षणों में लिये स्वयं सुविधाओं का प्रबन्ध न कर सकने पर उन्हें अन्य किसी स्थान पर ऐसे परीक्षण कराने का व्यय वहन करना पड़ेगा।

(6) ब्वायलरों के नक्शों के परीक्षण के लिये शुल्क–विनियम 395 के उप विनियम (क) के अधीन नक्शों (प्लान) का संवीक्षा के लिये शुल्क विनियम 395 में नियत मान क्रम के अनुसार होगा, किन्तु जब कोई नक्शा जिसकी संवीक्षा कर ली गई हो और जिसके संबंध में परिवर्तनों का सुझाव दिया गया हो पुन : संवीक्षा के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो रेखाचित्र की प्रथम संवीक्षा के लिये 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा, यदि नक्शे में उन परिवर्तनों से जिनका सुझाव पहले दिया गया था, भिन्न परिवर्तन हो।

(7) वाष्प पाइपों के नक्शों के परीक्षण के लिये शुल्क–विनियम 395 के उपनियम (बी) के अधीन अपेक्षित शुल्क प्रति प्रति 30 मीटर (100 फीट) पाइपिंग या उसके भाग पर 30 रु० की दर से होगा, जिसमें डी–सुपरहीटर, स्टीम रिसीवर, फीडहीटर और अलग से फायर्ड सुपरहीटर के तरह की फिटिंग को छोड़कर समस्त फिटिंग सम्मिलित होगी। डी–सुपरहीटर, स्टीम रिसीवर और सेपरेटर की तरह की किसी भी फिटिंग के लिये प्रत्येक ऐसी फिटिंग का शुल्क 150 रु० होगा।

(8) विनियमों के फार्म 3–ए में प्रमाण-पत्र देने के निमित्त वाष्प पाइपों के परीक्षण के लिये शुल्क–इस प्रयोजन के लिये शुल्क रेगुलेशन 395 क के अनुसार लिया जायेगा।

(9) वेल्डरों के परीक्षण के लिये शुल्क–विनियमों के अध्याय द्वारा ब्वायलरों की मरम्मत में लगे हुए आपरेटरों और निर्माणाधीन, परिनिर्माणाधीन और संविरचनाधीन ब्वायलरों और वाष्प (स्टीम) पाइपों की वेल्डिंग में लगे हुये बेल्डरों की अर्हता या पुन : अर्हता और परीक्षण के लिये प्लेट वेल्डिग के लिये 50.00 रुपया, पाइप वेल्डिग के लिये 50.00 रुपया, ट्यूब वेल्डिग के लिये 50.00 रुपया का शुल्क लिया जायगा, जो प्रपत्र (ड़) आवेदन-पत्र के साथ होना चाहिये।

अभ्यर्थी या संस्था, जो परीक्षण के लिये अभ्यर्थी के लिये अभ्यर्थी को भेजे नमूनों की सामग्रियों, उन्हें पूर्ण करने तथा उनके पर परीक्षण से सम्बद्ध सभी व्यय को वहन करेगी।

Scanned with CamScanner

(10) विनियमों के प्रपत्र 3-क में प्रमाण-पत्र देने के लिये निर्माणाधीन वाष्प रिसीवरों, सेपरेटरों आदि के परीक्षण के लिये शुल्क—इस मामले में लिया जाने वाला परीक्षण शुल्क निम्नलिखित होगा :—

(1) 200 मिलीमीटर तक (8 इंच) व्यास के पात्र के लिये	150.00 रु०
(2) 200 मिलीमीटर से अधिक (8 इंच) व्यास के पात्र और 400 मिलीमीटर तक (16 इंच) व्यास के पात्र के लिये	250.00 रु०
(3) 400 मिलीमीटर से अधिक (16 इंच) व्यास के पात्र के लिए	400.00 रु०

इसके अतिरिक्त निर्माता श्रमिकों और उपकरणों की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, जो विनियमों के अधीन अपेक्षित ऐसे यांत्रिक परीक्षणों के लिये आवश्यक हों। नियत परीक्षण के लिये सुविधाओं का प्रबन्ध स्वयं न कर सकने पर निर्माता को अन्य किसी स्थान पर ऐसे परीक्षण कराने का व्यय वहन करना पड़ेगा।

8—शुल्क के अन्तर्गत निरीक्षण तथा परीक्षण होगा-नियम 6 के अधीन नियत किसी ब्वायलर के निरीक्षण के लिये दिये गये शुल्क के अन्तर्गत पूर्ण परीक्षण, जल शक्ति द्वारा परीक्षण (हाइड्रोलिक टेस्ट) तथा वाष्प परीक्षण, जहां ऐसा आवश्यक हो, होगा।

9—दोषपूर्ण ब्वायलरों और अधूरे निरीक्षणों के पुनः निरीक्षण के लिये द्वितीय शुल्क— किसी दोषपूर्ण ब्वायलर के पुनः निरीक्षण के लिये और पंजीयन के ऐसे मामलों में भी जिसमें किसी ब्वायलर का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया हो, किन्तु स्वामी या प्रभारी व्यक्ति की चूक या उपेक्षा के कारण निरीक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से 6 मास के भीतर वह पूरा न हुआ हो, दुबारा शुल्क लगाया जायगा।

यदि ब्वायलर का स्वामी, जिसको ब्वायलर या स्टीम पाइप के निरीक्षण या पंजीयन की तिथि की सूचना दे दी गई है, तिथि परिवर्तन के लिये नियत तिथि से तीन दिन पहले मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को सूचित नहीं करता है, तो उसे दुबारा शुल्क देना पड़ेगा

10—दुबारा शुल्क के लिये मुख्य निरीक्षक की स्वीकृति —मुख्य निरीक्षण की स्वीकृति के बिना, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

11—द्वितीय प्रमाण—पत्र के लिये शुल्क—मुख्य निरीक्षक के आदेश से 10 रुपये का शुल्क प्राप्त होने पर ब्वायलर के स्वामी को वास्तविक प्रयोजन के लिये द्वितीय प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।

12—पंजीयन पुस्तक की प्रतिलिपि के लिये शुल्क—किसी पंजीयन पुस्तक की प्रतिलिपि के लिये जिसमें ब्वायलर के केवल विवरण और बीमा (डाइमेन्शन) होंगे, शुल्क 25 रुपये होगा। पंजीयन पुस्तकों की प्रतिलिपियां जारी करते समय सरकारी निरीक्षण टिप्पणियों की प्रतिलिपियाँ नहीं दी जायेंगी।

13—दौरे के महीने को छोड़कर शुल्क—किसी निरीक्षक द्वारा दौरे से भिन्न (दौरे के महीने को छोड़कर जैसा कि इस नियम में नियत है) किये गये निरीक्षण के लिये देय शुल्क उपर्युक्त धनराशि और विराम परिव्यय 50.00 रुपया प्रतिदिन होगा और इसके अतिरिक्त यात्रा व्यय होगा जो कानपुर से ब्वायलर स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तक की दूरी के अनुसार भिन्न—भिन्न होगा और वह निम्नलिखित होगा:-

कानपुर से किलोमीटर	रुपया
1से 100 किलोमीटर . .	100.00
अतिरिक्त 50 किलोमीटर या उसके भाग के लिये . .	50.00

टिप्पणी :—(एक) निम्नलिखित दौरे के कार्यक्रम का तब तक पालन किया जायगा जब तक कि उसमें सरकारी गजट में या किसी अन्य प्रकार से, जो वांछनीय समझा जाय प्रकाशित राज्य सरकार के आदेश से परिवर्तन न कर दिया जाय।

दौरे का कार्यक्रम

मास		जिला
जनवरी	. .	लखनऊ और सोनभद्र।
फरवरी	. .	सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, मिर्जापुर, रायबरेली और कानपुर देहात।
मार्च	. .	झांसी, हमीरपुर, जालौन, गाजीपुर और ललितपुर।
अप्रैल	. .	वाराणसी, आजमगढ़, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, मथुरा और मऊ।
मई	. .	इटावा, फतेहपुर, जौनपुर और बांदा।
जून	. .	गोण्डा, बहराइच, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, अलीगढ़ और सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner

मास		जिला
जुलाई	..	सहारनपुर, बाराबंकी, मेरठ, हरदोई, सीतापुर, गाजियाबाद और हरिद्वार।
अगस्त	..	बुलन्दशहर, एटा, आगरा, शाहजहांपुर, रामपुर और फिरोजाबाद।
सितम्बर	..	गोरखपुर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज और मैनपुरी।
अक्टूबर	..	बांदा, बरेली, पीलीभीत, खीरी और मुजफ्फरनगर।
नवम्बर	..	इलाहाबाद, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़।
दिसम्बर	..	देहरादून, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी।

(दो) कानपुर नगर में निरीक्षण वर्ष भर किये जाते है।

(तीन) निम्नलिखित मामलों में विशेष रियायत दी जाती है:–

(क) सेवा के व्वायलरों का निरीक्षण जनवरी, फरवरी, नवम्बर और दिसम्बर में किया जायेगा।

(ख) शक्कर के कारखानों के व्वायलरों जिनके लिये दौरे का माह जून से अक्टूबर होगा, स्वामी उपरिलिखित दौरे के महीनों में से उस मास को जिसकों वह चुने और जिसमें वह प्रत्येक वर्ष अपने व्वायलरों का निरीक्षण कराना चाहता हों, लिखित सूचना मुख्य व्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को देगा। इस प्रकार चुना गया मास उसके मामलें में दौरे का महीना माना जायगा।

14—शुल्क की वापसी–अधिक दिया गया शुल्क और उन निरीक्षणों के लिये दिया गया शुल्क, जो किसी कारण से, जिसमें ब्वायलरों के स्वामियों या उनके प्रभारी व्यक्तियों की कोई चूक या अकारण नहीं था, न किये गये हों, मुख्य निरीक्षक द्वारा वापस कर दिया जायेगा या उक्त स्वामी या स्वामियों के किसी अन्य ब्वायलर अथवा ब्वायलरों के निरीक्षण के लिये शुल्क के प्रति समायोजित कर दिया जायगा, यदि वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र भुगतान के दिनांक से एक वर्ष के भीतर दिया जाय।

15—मुख्य ब्वायलर निरीक्षक के लिये अर्हतायें–राज्य सरकाय यू० पी० सर्विस आफ इंसपेक्टर्स आफ ब्वायलर्स ऐण्ड फैक्टरीज क्लास 1 रूल्स के नियम 9 (2) के अनुसार योग्यता प्राप्त एक व्यक्ति को चीफ इंसपेक्टर आफ ब्वायलर्स और यू० पी० सर्विस आफ इंसपेक्टर्स आफ ब्ववायलर्स ऐण्ड फैक्टरीज क्लास 2 रूल्स के नियम 9 (1) के अनुसार योग्यताप्राप्त एक व्यक्ति को डिप्टी चीफ इंसपेक्टर आफ ब्वायलर्स अथवा इंसपेक्टर आफ ब्वायलर्स नियुक्त करेगी।

16—प्रशासकीय नियंत्रण–(क) मुख्य निरीक्षक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा और उसे निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा–

(1) अधिनियम के कार्यान्वय के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) ऐसे अन्य प्रतिवेदन तथा विवरणियां, जो मांगी जायें।

(ख) उप मुख्य निरीक्षक मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ होगा और उसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(ग) निरीक्षक मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ होगा और उसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। उसे साधारणतया किसी विशिष्ट क्षेत्र का कार्यभार लेने के लिये नियुक्त किया जायगा।

17—मुख्य निरीक्षक के कर्त्तव्य–(1) मुख्य निरीक्षक अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त तथा आरोपित अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा, किन्तु उसका मुख्य कर्त्तव्य साधारणतया उप मुख्य निरीक्षकों तथा निरीक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना होगा। वह ब्वायलरों का निरीक्षण तथा उनका परीक्षण केवल आपवादिक दशाओं में करेगा और जब वह समझे कि किसी निरीक्षक के कार्य की वैयक्तिक जांच करना आवश्यक है।

(2) मुख्य निरीक्षक

(क) निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत पंजीयन के लिये निरीक्षित सभी ब्वायलरों के पंजीयन विवरण तथा गणना की जांच करेगा, जैसा कि विनियमों के अध्याय 9 में नियत है और अनुमोदित दबाव तथा धारा 7 के अधीन अपेक्षित सभी आदेश दर्ज करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 7 या धारा 8 के अधीन प्रस्तावों पर आदेश देगा;

(ग) प्रत्येक निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश करेगा;

(घ) ऐसे सभी मामलों में आदेश देगा, जिनमें निरीक्षक ने धारा 8 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ए) (2) के अधीन किसी ब्वायलर के लिये अनुगत दबाव को बढ़ाने या घटाने, धारा 11 के अधीन प्रमाण-पत्र या अस्थायी आदेश को वापस लेने अथवा रद्द करने या धारा 8 के अधीन किसी ब्वायलर में आवश्यक मरम्मत, निर्माण सम्बन्धी परिवर्तन या नवीकरण करने का आदेश देने का प्रस्ताव किया हो;

Scanned with CamScanner

(ङ) ऐसे सभी मामले में आदेश देगा, जिनमें यह सूचित किया गया हो कि यथोचित नोटिस देने के पश्चात् भी ब्वायलर धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण के लिये उचित रूप से तैयार नहीं किया गया है;

(च) धारा 19 के अधीन निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी सभी अपीलों पर निर्णय देगा;

(छ) अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाने की स्वीकृति देगा;

(ज) ब्वायलरों की गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करेगा;

(झ) राज्य में अधिनियम के कार्यान्वय के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा;

(ञ) विनियमों के अधीन किसी निरीक्षण प्राधिकारी को दिये कर्त्तव्यों का पालन करेगा;

(ट) विनियमों के अधीन किसी निरीक्षण अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को प्रतिनियुक्त करेगा;

(ठ) निरीक्षण अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर आदेश देगा और विनियमों के अधीन किसी निरीक्षण प्राधिकारी को दिये गये सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा;

(ड) विनियमों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी को दिये कर्त्तव्यों का पालन करेगा;

(ढ) विनियम 393 या विनियम 395 के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्वायलरों या उनके भाग के लिये सभी ड्राइंगों और नक्शों को अनुमोदित करेगा।

(3) स्वामियों को परामर्श देना—मुख्य निरीक्षक ब्वायलरों के उचित संधारण, निरापद कार्य फीड वाटर ट्रीटमेंट और साफ करने के सम्बन्ध में स्वामियों को परामर्श दे सकता है।

(4) रजिस्टरों का रखना—मुख्य निरीक्षक अपने कार्यालय में—

(क) अपीलों का रजिस्टर, और

(ख) दुर्घटनाओं का रजिस्टर रखेगा।

(5) धनराशि की वापसी— मुख्य निरीक्षक अधिक भुगतान किए गए शुल्कों की वापसी की स्वीकृति देने के लिये प्राधिकारी होगा।

18—उप मुख्य निरीक्षक के कर्त्तव्य—(1) उप मुख्य निरीक्षक—

(क) पंजीयन के लिये प्रस्तावित सभी ब्वायलरों की पंजीयन और निरीक्षण ज्ञाप पुस्तकों की जांच करेगा।

(ख) विनियम 393 या विनियम 395 के अधीन अग्रिम प्रस्तुत किए गए नक्शों और ड्राइंगों की परिनिरीक्षा करेगा।

(ग) प्रत्येक निरीक्षण के पश्चत् प्रत्येक ब्वायलर की निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक का परीक्षण करेगा और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(घ) पंजीयन पुस्तक में अपेक्षित किन्हीं अनुवर्ती प्रविष्टियों को दर्ज करेगा और उन पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(ङ) अपने क्षेत्राधिकारो के भीतर ब्वायलरों की गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करेगा और मुख्य निरीक्षक द्वारा वैयक्तिक जांच करने के लिये, यदि आवश्यक समझा जाय, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(च) राज्य के भीतर पंजीयित सभी ब्वायलरों और उन ब्वायलरों का जो राज्य को हस्तान्तरित किये गये हों, एक रजिस्टर इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में रखेगा।

(छ) रजिस्टर में दर्ज सभी ब्वायलरों की निरीक्षण-ज्ञाप पुस्तकों को अपने कार्यालय में रखेगा।

(ज) फार्म 2, फार्म 3, फार्म 3-ए, फार्म 3-बी, फार्म 3-सी और फार्म 4 में तैयार किये गये प्रमाण-पत्रों की परिनिरीक्षा करेगा।

(झ) निरीक्षण अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करेगा जब निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जाय।

(ञ) प्राप्त हुए सभी पंजीयन और निरीक्षण शुल्कों का एक रजिस्टर रखेगा।

(ट) अधिनियम के कार्यान्वय में सामान्यतया मुख्य निरीक्षक की सहायता करेगा।

(2) उप मुख्य निरीक्षक का स्वामियों को परामर्श देना—उप मुख्य निरीक्षक समय-समय पर चालू ब्वायलरों का यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण कर सकता है कि क्या वे प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार चलाये जा रहे हैं या नहीं और स्वामियों को ब्वायलरों को चलाने में सुरक्षा ठीक प्रकार से उनके संधारण और उनकी नियतकालिक सफाई तथा फीड वाटर ट्रीटमेंट के संबंध में परामर्श दे सकता है।

19—निरीक्षक के कर्त्तव्य—(1) निरीक्षक का मुख्य कर्त्तव्य—पंजीयन अथवा प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के लिये ब्वायलरों और वाष्प (स्टीम) पाइपों तथा अन्य सम्बद्ध फिटिंगों का निरीक्षण तथा परीक्षण करना होगा। वह निरीक्षण अधिकारी के कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा जब निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय। निरीक्षण पूर्णतया विनियमों तथा इस नियमावली के अनुसार किया जायगा।

Scanned with CamScanner

(2) निरीक्षण के प्रकार—ब्वायलरों का निरीक्षण तीन प्रकार का होगा—

(क) जब धारा 7 की अपेक्षानुसार किसी ब्वायलर का पंजीयन के लिये प्रस्ताव किया गया हो;

(ख) जब इस अधिनियम के अधीन दिये गये प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने को हो अथवा जब वह धारा 11 के अधीन रद्द कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो और स्वामी धारा 8 के अधीन उसका नवीकरण चाहता हो;

(ग) किसी भी समय यह सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण को क्या ब्वायलर अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार चलाया जा रहा है या नहीं।

(3) अपंजीयित ब्वायलरों की खोज—निरीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र के भीतर अपंजीयित या अप्रमाणित ब्वायलरों की खोज करे और यह देखे कि अप्रमाणित ब्वायलरों के प्रमाण-पत्रों की शर्तों और अधिनियम के विनियमों या नियमों के अनुसार चलाया जाता है।

(4) निरीक्षक का स्वामियों को परामर्श देना—निरीक्षण के समय निरीक्षक ब्वायलरों के स्वामियों और प्रभारी व्यक्ति को ब्वायलरों को चलाने में सुरक्षा, ठीक प्रकार से उनके संधारण और उनकी नियतकालिक सफाई तथा फीड वाटर ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में परामर्श दे सकता है।

(5) विशिष्ट कर्त्तव्य—निरीक्षक—

(क) अपने प्रभाराधीन प्रत्येक ब्वायलर के लिए एक निरीक्षण ज्ञात पुस्तक रखेगा, जैसा कि विनियम 386 में नियत है और उसे प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात् उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक को परीक्षण तथा प्रतिहस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत करेगा;

(ख) धारा 7 या धारा 8 के अधीन पंजीयन या निरीक्षण के लिये प्रपत्र "ग" में प्रार्थना-पत्र लेगा;

(ग) ब्वायलरों, वाष्प (स्टीम) पाइपों या सम्बद्ध फिटिंगों की दुर्घटनाओं की जाँच करेगा और उसकी सूचना उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक को देगा;

(घ) निरीक्षण के समय पाये गये असूचित दुर्घटनाओं के मामलों की सूचना मुख्य निरीक्षक को देगा;

(ङ) उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक के आदेशों के लिये निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा—

(1) धारा 7 के अधीन पंजीयन के लिये प्रस्तावित सभी ब्वायलरों की निरीक्षण ज्ञाप पुस्तकें;

(2) धारा 8 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (ए) (2) के अधीन निरीक्षण के पश्चात् किसी ब्वायलर के दबाव को बढ़ाने या घटाने के लिये प्रस्ताव;

(3) धारा 8 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (बी) के अधीन निरीक्षण के पश्चात् किसी ब्वायलर में आवश्यक मरम्मत, निर्माण संबंधी परिवर्तन या उसके नवीकरण करने के लिये प्रस्ताव;

(4) धारा 8 के अधीन किसी प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार करने के लिये प्रस्ताव और धारा 11 के अधीन किसी प्रमाण-पत्र या अस्थायी आदेश को रद्द करने या उसे वापस लेने के लिये प्रस्ताव;

(5) प्रतिवेदन जब धारा 14 के अधीन निरीक्षण के लिये ब्वायलर ठीक प्रकार से तैयार न किये गये हों;

(6) अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाने के लिये प्रस्ताव और उसे अपनी सिफारिशों के साथ ब्वायलरों के उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक के पास भेजेगा।

(च) धारा 18 के अधीन दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त करेगा और उसे अपनी सिफारिशों के साथ ब्वायलरों के उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक के पास भेजेगा।

(छ) निरीक्षक द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना—इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "च" के स्तम्भ 8 में एक घोषणा तैयार करेगा, जिसमें काम का दबाव स्पष्ट रूप से लिखा जायगा और उसे प्रार्थना-पत्र के साथ उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक के पास भेजेगा।

Scanned with CamScanner

20—विशेष समय में निरीक्षण—कोई निरीक्षक किसी ब्वायलर के पंजीयन या प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये किसी ब्वायलर का परीक्षण प्रत्येक मामले में मुख्य निरीक्षक के विशिष्ट आदेशों के बिना किसी रविवार अथवा निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, 1881 के अधीन किसी सार्वजनिक छुट्टी के दिन या सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं करेगा।

21—निरीक्षण अधिकारी के रूप में कर्त्तव्य—निरीक्षण अधिकारी के रूप में निरीक्षक—

(क) ब्वायलरों या उनके भागों के ऐसे परीक्षण की एक अनुसूची ऐसे प्रपत्र में रक्खेगा जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो;

(ख) निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार ब्वायलरों और उनके भागों पर किये गये परीक्षण के परिणामों और विशेष रूप से उनसे भिन्नता के संम्बंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;

(ग) अपनी उपस्थिति में सामग्रियों या स्कैन्टलिंगों पर किये गये परीक्षणों के परिणाम की रिपोर्ट देगा;

(घ) अपने द्वारा या अपने पर्यवेक्षणाधीन किये गये सभी परीक्षणों (विनाशक और अविनाशक दोनों) के अभिलेख रखेगा।

(ङ.) जब ब्वायलरों या उनके भागों अथवा अन्य स्कैन्टलिंगों पर रेडियोग्राफिक परीक्षण किये जायं तब परीक्षित भागों के स्वीकार किये जाने के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी को लिखित रूप में ऐसे प्रपत्र में, जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, अपनी राय देगा।

22—पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति—धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन ब्वोयलर के पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र या तो उपमुख्य निरीक्षक अथवा मुख्य निरीक्षक या उस स्थानीय क्षेत्र के निरीक्षक को दिया जायगा, जिसमें ब्वायलर स्थित हो, और उसके साथ नियत शुल्क की रसीद होगी। रसीद के बिना कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई भी ब्वायलर तब तक पंजीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि यदि माप करने पर शुल्क में कमी पायी जाय, तो कम धनराशि दे न दी जाय। अधिक भुगतान की गयी धनराशि, यदि कोई हो, पंजीयन के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

23—पंजीयन—निरीक्षक धारा 7 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ब्वायलर के परीक्षण के लिये कोई एक दिनांक निश्चित करेगा। वह निश्चित दिनांक को धारा 7 की उप धारा (3) के अधीन कार्यवाही करना आरम्भ करेगा और यथासम्भव शीघ्र अपना प्रतिवेदन मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

मुख्य निरीक्षक धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपना आदेश अविलम्ब जारी करेगा।

24—पंजीयित ब्वायलरों का रजिस्टर—उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक पंजीयित ब्वायलरों का एक रजिस्टर प्रपत्र "क" में दो भागों में अनुक्रम से रखेगा। भाग 1 में (मूल रूप से राज्य में पंजीयित ब्वायलर)—किसी ब्वायलर की पंजीयित संख्या वह होगी, जो रजिस्टर में अन्तिम क्रम-संख्या के ठीक बाद में हो। ब्वायलरों को खंडित कर दिये जाने या दूसरे राज्य को स्थानान्तरित कर दिये जाने के कारण क्रम-संख्याओं को नहीं भरा जायगा। भाग 2 में (मूल रूप से अन्य राज्यों में पंजीयित ब्वायलर) प्रविष्टियां नियम 18 (1) (च) के अनुसार की जांयगी। किसी कार्यालय का प्रभारी निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी ब्वायलरों का इसी प्रकार का रजिस्टर रखेगा।

25—किसी ब्वायलर का स्थानान्तरण करने पर प्रक्रिया—जब कभी कोई ब्वायलर किसी दूसरे राज्य से इस राज्य में स्थानान्तरित किया जाय, तो स्वामी धारा 6 के खण्ड (ब) के अधीन मुख्य निरीक्षक को स्थानान्तरण के पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र देगा। तत्पश्चात् मुख्य निरीक्षक ब्वायलर की पंजीयन पुस्तक और निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक उस राज्य से मंगायेगा, जहां से ब्वायलर स्थानान्तरित किया गया हो। स्थानान्तरण अभिलिखित करने के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। स्थानान्तरण अभिलिखित किये जाने से पूर्व ब्वायलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

26—रजिस्टर में स्थानान्तरित ब्वायलरों का इन्दराज करना—पंजीयन तथा निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक प्राप्त होने पर उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक अपने रजिस्टर के भाग 2 में ब्वायलर का उसकी मूल संख्या देकर दर्ज करेगा और उस क्षेत्र के निरीक्षक को, जिसमें ब्वायलर स्थित हो, यह अनुदेश देगा कि वह उसे उसी प्रकार से अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले। पंजीयन पुस्तक तथा निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक के कार्यालय में रखी जायगी।

27—स्थानान्तरित तथा विखंडित ब्वायलरों का उल्लेख—जब कभी कोई ब्वायलर किसी दूसरे राज्य को स्थानान्तरित कर दिया गया हो अथवा खंडित कर दिया गया हो, तो इस तथ्य का उल्लेख रजिस्टर में किया जायगा। किसी ऐसे ब्वायलर की दशा में, जिसे स्थायी रूप से विखंडित कर दिया गया हो, पंजीयन पुस्तक तथा निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक को नष्ट कर दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

28—दुर्घटनाओं की जांच—धारा 18 के अधीन किसी ब्वायलर या वाष्प पाइप के सम्बन्ध में किसी दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक अविलम्ब दुर्घटना की जांच करने के लिये उस स्थान को जायेगा। यदि सूचना उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक को प्राप्त हो तो वह उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये तुरन्त उस निरीक्षक के पास भेज देगा, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर दुर्घटना हुई हो।

29—जांच के दौरान प्रक्रिया—निरीक्षक अपनी जांच के समय क्षतिग्रस्त भागों का सावधानी से परीक्षण करेगा और उपने प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के लिये ऐसे माप लेगा तथा ऐसा खाका (स्केचेज) बनायेगा जो वह आवश्यक समझे। वह दुर्घटना से सम्बद्ध परिस्थितियों की जांच करेगा, दुर्घटना होने के समय उसका प्रकार तथा प्रसार, चोट जो व्यक्तियों को लगी हो और सम्पत्ति की क्षति को लिखेगा। प्रतिवेदन (रिपोर्ट) इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "घ" में दिया जायगा।

30—लिखित रूप में जांच करने का अधिकार—निरीक्षक साक्षियों तथा दुर्घटनाओं से सीधे सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का लिखित बयान लेगा। धारा 18 की उपधारा (2) के उपबन्ध का अनुपालन करने के उद्देश्य से निरीक्षक ब्वायलर के स्वामी का प्रभारी व्यक्तिं को ऐसे सभी विषयों पर, जो जांच के लिये सारवान हो, लिखित प्रश्नावली देगा।

31—दुर्घना के पश्चात् ब्वायलर का प्रयोग—निरीक्षक यह निर्णय करेगा कि ब्वायलर की मरम्मत किये बिना या कोई ऐसी मरम्मत अथवा परिवर्तन किये जाने तक, जिसके लिये यह आदेश दे, उसी के मरम्मत दबाव पर या उससे कम दबाव पर उसके प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दी जा सकती है अथवा नहीं। किसी भी दशा में वह कोई अस्थायी आदेश जारी न करेगा और न प्रमाण-पत्र का नवीकरण करेगा जब तक कि उसके आदेश का पालन कर न दिया जाय।

32—गम्भीर दुर्घटनाओं की दशा में प्रक्रिया—प्रतिवेदन (रिपोर्ट) बिना किसी विलम्ब के उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक को भेजा जायगा, जो यदि वह समझे कि जांच पर्याप्त रूप से कर ली गयी है, अपने दुर्घटना रजिस्टर में इन तथ्यों को अभिलिखित करेगा और दुर्घटनां का एक संक्षिप्त विवरण रजिस्टर तथा निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक में दर्ज करेगा। किन्तु यदि दुर्घटना गम्भीर प्रकार की हो और उन सभी मामलों में, जिनमें विस्फोट हुआ हो, मुख्य ब्वायलर निरीक्षक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर या तो अकेले व्यक्तिगत रूप से अथवा उप मुख्य निरीक्षक या किसी अन्य निरीक्षक के साथ, जो आवश्यक समझा जाय, दुर्घटना की जांच करने के लिये जायगा।

33—वार्षिक प्रतिवेदन में अभिदेश—सभी दुर्घटनाओं और उनके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जायगा।

34—असूचित दुर्घटनायें—यदि किसी निरीक्षण के दौरान अथवा किसी अन्य समय निरीक्षक को किसी ऐसी क्षति का पता लगे जो किसी दुर्घटना की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो ; किन्तु उसकी सूचना न दी गयी हो तो वह इस तथ्य की सूचना धारा 24 के खंड (डी) के अधीन कार्यवाही के लिये तुरन्त मुख्य निरीक्षक को देगा।

35—धारा 19 के अधीन अपीलों की सुनवाई के समय उपस्थिति—मुख्य निरीक्षक के आदेशों से निरीक्षक अपने क्षेत्र के भीतर के ब्वायलरों से सम्बद्ध अपीलों की सुनवाई के समय मुख्य निरीक्षक या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेगा।

36—अपीलीय प्राधिकरण— सरकार ऐसे अवधि के लिये, जो वह उचित समझे, धारा 20 के अधीन एक अपीलीय प्राधिकरण संगठित करेगी। अपीलीय प्राधिकरण की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जायगी, जिसने जिला न्यायाधीश या जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग किया हो अथवा जो उनका प्रयोग कर रहा हो।

37—असेसरों का पैनल—सरकार अपीलों की सुनवाई में अपीलीय प्राधिकरण को सहायता देने के लिये असेसरों का पैनल संघटित करेगी। असेसर सक्षम व्यक्ति होंगे, जिन्हें आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा अनुभव हो और उनके लिये अर्ह यांत्रिक अभियन्ता होना आवश्यक होगा।

38—असेसरों की उपस्थिति—जब कभी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किसी अपील की सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित कर दिया गया हो, मुख्य निरीक्षक अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों से असेसरों के रूप में कार्य करने के लिये पैनेल के कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति के लिये व्यवस्था करेगा।

39—असेसरों का पारिश्रमिक—असेसर को किसी दिन के लिये, जिस दिन वह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो, ऐसा पारिश्रमिक तथा यात्रा भत्ता मिलेगा जो राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे।

40—अपील प्रस्तुत करना—प्रत्येक अपील लिखित रूप में या तो अंग्रेजी में अथवा राज्य की राजभाषा में की जायगी और मुख्य निरीक्षक को उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाय, सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी।

Scanned with CamScanner

41—अपील का प्रपत्र—अपील के साथ वह मूल आदेश, नोटिस या प्रतिवेद
होगा, जिसके विरुद्ध अपील की जाय अथवा उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि हो
अथवा यदि कोई ऐसा आदेश नोटिस या प्रतिवेदन लिखित रूप में न दिया गया हो
उन तथ्यों का, जिनके विरुद्ध अपील की जाय, एक स्पष्ट विवरण-पत्र अपील के कार
तथा अधिनियम की संगत धाराओं को दिया जायगा।

42—सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करना—अपील प्राप्त होने पर मुख्य
निरीक्षक अपील की सुनवाई के लिये, यदि अपील उसके द्वारा सुनी जानी हो कोई एक
दिनांक तुरन्त निश्चित करेगा और यदि अपील अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सुनी जानी
हो तो अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण से कोई एक दिनांक निश्चित
करायेगा। अपीलों पर निर्णय देने में किसी प्रकार का बिलम्ब नहीं किया जायेगा।

43—सुनवाई के दौरान प्रक्रिया—जब सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित हो जाय
तो मुख्य निरीक्षक तुरन्त अपीलकर्ता को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सुनवाई का
दिनांक उल्लिखित होगा और जिसमें उसे यह सूचित किया जायेगा कि यदि वह अपील
के समर्थन में कुछ कहना चाहे अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह निश्चित
दिनांक को अपने साक्ष्य सहित या तो स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा अवश्य
उपस्थित रहे। नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा उस पते पर भेजा जायेगा जो याचिका में
दिया गया हो।

44—निरीक्षक की उपस्थिति—सभी अपीलों में मुख्य निरीक्षक यह निर्णय करेगा
कि निरीक्षक की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं और तदनुसार आदेश जारी करेगा।

45—साक्षियों की उपस्थिति—अपीलीय प्राधिकरण को साक्षियों की उपस्थिति
सुनिश्चित करने और स्थानीय जांच करने का अधिकार होगा और इस प्रयोजन के
लिये वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 ई० के उपबन्धों के अधीन न्यायालय के
अधिकारों का प्रयोग करेगा।

46—एक पक्षीय निर्णय—यदि अपीलकर्त्ता निश्चित दिनांक को उपस्थित न हो तो
अपील का उसकी अनुपस्थिति में निर्णय दिया जा सकता है।

47—अपीलों में व्यय—अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपीलों में, अपीलीय
प्राधिकरण व्यय के सम्बन्ध में निर्णय देना और किसी भी ऐसे मामले में जिसमें अपील
खारिज कर दी जाय, अपीलकर्ता से उसे वसूल करेगा। अपील के प्रत्येक ऐसे मामले
में, जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा स्थानीय निरीक्षण की अपेक्षा की जाय, वह (अपीलकर्ता)
ऐसे निरीक्षण के सम्पूर्ण व्यय को अग्रिम जमा करेगा।

48—अपीलों पर दिये गये प्रमाण-पत्रों के लिये अपेक्षित शुल्क—अपील पर
किसी ऐसे आदेश के सम्बन्ध में, जिसमें किसी ब्वायलर के पंजीयन के लिये या किसी
माण-पत्र के नवीकरण के लिये प्राधिकार दिया गया हो, यह समझा जायगा कि उसके
ये ऐसे शुल्कों का भुगतान करना होगा, जो अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों
विनियमों द्वारा नियत हो।

49—रूल्स के उल्लंघन पर से शास्तियां—इण्डियन ब्वायलर्स ऐक्ट, 1923 ई०
ऐक्ट संख्या 5, 1923 ई०) की धारा 30 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके,
त्तर प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश करते है कि जो व्यक्ति इन रूल्स के उपबन्धों का
ल्लंघन करेगा तो पहली बार उल्लंघन करने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जिसकी
नराशि एक सौ तक हो सकती है और उसके बाद उल्लंघन पर उसे दिये जाने वाले
र्थदण्ड की धनराशि एक हजार रुपये तक हो सकती हैं।

Scanned with CamScanner

भारतीय ब्वायलर्स अधिनियम, 1923 ई० के प्रशासन के लिए निर्देशनायें

1—साधारण

1—(क) मुख्य निरीक्षक, श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा और उसे निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा—

(1) अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन,
(2) ऐसे अन्य प्रतिवेदन तथा विवरणियां जो मांगी जायं।

(ख) उप मुख्य निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ होगा और उसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(ग) निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ होगा और उसके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। वे साधारणतया विशिष्ट क्षेत्रों का कार्यभार लेने के लिये नियुक्त किये जायेंगे।

2—मुख्य निरीक्षक प्रासंगिक बिलों और अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों के यात्रा-भत्ता बिलों के लिए नियन्त्रण तथा प्रतिहस्ताक्षरण प्राधिकारी होगा।

3—मुख्य निरीक्षक समय-समय पर अधिष्ठान और वेतन की, जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, एक अनुसूची तैयार करेगा और राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा।

4—मुख्य निरीक्षक अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए व्यय का अनुमान तैयार करेगा।

5—मुख्य निरीक्षक सामान्यतया स्वामियों की सुविधा का उचित ध्यान रखते हुए अपने अधीनस्थ सभी उप-मुख्य निरीक्षकों तथा निरीक्षकों के निरीक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन करेगा।

6—मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षकों की डायरियों तथा विवरणियों का परीक्षण करेगा और उन पर आदेश देगा।

7—उप मुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षक सामान्य तथा स्वामियों की सुविधा का उचित ध्यान रखते हुए निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करेगा और उन्हें क्रमशः मुख्य निरीक्षक या उप मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिए ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगा जो मुख्य निरीक्षक द्वारा निश्चित किया जाय।

8—उप मुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षक डायरी रखेगा, जिसे क्रमशः मुख्य निरीक्षक तथा उप मुख्य निरीक्षक को प्रत्येक महीने प्रस्तुत किया जायगा और जिसमें निरीक्षित स्थान पंजीयित या निरीक्षित ब्वायलर कार्यक्रम से भिन्नता और कोई अन्य महत्वपूर्ण विवरण तथा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन की गई कार्यवाही दी जायगी।

2—ब्वायलरों के पंजीयन के लिए अनुदेश

9—पंजीयन का महत्व—ब्वायलरों के पंजीयन के लिए औपचारिक (टेक्निकल) पथ-प्रदर्शन और पंजीयन के लिए शुल्कों का मान विनियमों में नियत है। पंजीयन के समय अभिलिखित मापों का ब्योरा ब्वायलर के लिए एक स्थायी अभिलेख होता है और मूल दबाव, जिस पर ब्वायलर को चलाने की अनुमति दी जाती है, उन्हीं से निर्धारित होता है। तद्नुसार यह आवश्यक है कि कार्य बहुत ही सावधानी और यथार्थता से किया जाना चाहिए।

10—विलम्ब न होने देने की आवश्यकता—यह आवश्यक है कि पंजीयन में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। निरीक्षक धारा 7 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार ब्वायलर के परीक्षण के लिए कोई एक दिनांक निश्चित करेगा और इस प्रकार निश्चित दिनांक की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही करेगा और अपना प्रतिवेदन मुख्य निरीक्षक को यथासम्भव शीघ्र भेजेगा।

मुख्य निरीक्षक धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन आदेश अविलम्ब जारी करेगा।

3—ब्वायलरों के निरीक्षण के लिए अनुदेश

11—भीतरी निरीक्षण—ब्वायलरों के निरीक्षण के लिए विस्तृत अनुदेश विनियमों में दिए हुए हैं, निरीक्षण के समय निम्नलिखित सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए:

प्रमाण-पत्र देने या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक निरीक्षण के समय निरीक्षक को, यदि ब्वायलर के आकार तथा निर्माण से ऐसा सम्भव हो सके तो उसके अन्दर जाना चाहिए और उसके सभी भीतरी भागों का निरीक्षण करना चाहिए, किन्तु ऐसा करने के पूर्व, उसे अपना यह समाधान कर लेना चाहिये कि ब्वायलर को किसी अन्य ब्वायलर से, जिसमें वाष्प बन रहा हो, कारगर ढंग से असम्बद्ध करने की उचित व्यवस्था कर दी गई है।

Scanned with CamScanner

यदि उसे यह पता चले कि ब्वायलर कारगर ढंग से असम्बद्ध नहीं किया गया है अथवा ब्वायलर की उचित रूप से सफाई नहीं की गई है या उसकी पपड़ी नहीं उतारी गई है अथवा यह आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो उसे निरीक्षण करने से इन्कार कर देना चाहिए और तथ्यों की सूचना मुख्य निरीक्षक को अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन उसके आदेश के लिए देनी चाहिए।

जब कोई ब्वायलर ऐसे आकार का हो अथवा उसका निर्माण ऐसा हो कि निरीक्षक उसके अन्दर नहीं जा सकता तो उसमें देखने के लिए सूराख (साइट होल) या हाथ डालने के लिए सूराख (हैन्ड होल)अवश्य होने चाहिए जिससे कि वह उसमें मुख्य भीतरी भागों को देख सके और उसकी दशा का अनुमान लगा सके। यदि किसी ब्वायलर का कोई महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार निर्मित हो कि निरीक्षक उसका परीक्षण नहीं कर सकता तो उसे इस तथ्य की सूचना मुख्य निरीक्षक को उसके आदेश के लिए देनी चाहिए।

12—बाहरी निरीक्षण—ब्वायलरों का परीक्षण बाहर से और भीतर से भी अवश्य किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जब स्थान नम हो तो ब्लाक कुर्सी (सीटिंग ब्लाक्स) और ईंट की चिनाई से सम्बद्ध ब्वायलरों के बाहरी भागों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे अनेक गम्भीर दोषों को ध्यान में रखते हुए, जो पाए गए हों, निरीक्षक को उचित प्रकार से निरीक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन ब्वायलरों के सम्पूर्ण बाहरी भाग का परीक्षण आसानी से नहीं किया जा सकता, उनके किसी आवरण, टैकों या फिटिंग को, जब कभी वह आवश्यक समझे, हटा दिए जायं।

प्रथम निरीक्षण के समय और तत्पश्चात् किसी उचित समय पर जब निरीक्षक ऐसा आवश्यक समझे, नीचे के भागों का निरीक्षण करने के लिए लोको मोटिव प्रकार के ब्वायलरों के सैडिल, टैंक और इंजन फिटिंग को हटा दिया जाना चाहिए। यदि स्वामी किसी विशिष्ट मामले में ढके हुए भागों को किसी उचित कारण से हटाना न चाहता हो तो वह मामला मुख्य निरीक्षक को उसके आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निरीक्षक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसे किसी ऐसे ब्वायलर को सुरक्षित प्रमाणित नहीं करना है, जिसकी हालत के बारे में वह अपना पूरी तरह समाधान न कर सके।

निरीक्षण के पहले निरीक्षक निरीक्षण ज्ञाप पुस्तक का परिनिरीक्षण करेगा और किन्हीं प्रविष्टियों को, जो पिछले निरीक्षण के समय की गयी हो, ध्यान में रखेगा।

13—आकस्मिक निरीक्षण—ब्वायलरों की एक बैटरी का निरीक्षण करते समय निरीक्षक को इस अवसर का लाभ अन्य ब्वायलर को, जिनमें बाष्प बन रहा हो, ब्वायलर के ऊपरी पुर्जों और ब्वायलर के उपस्थान (अटेन्डेन्ट) के विशेष अभिदेश में परीक्षण करने के लिए बैठना चाहिए।

14—प्रमाण-पत्रों में प्रविष्टियां—किसी ब्वायलर के प्रयोग के लिए किसी प्रमाण-पत्र में विनियम 389 की अपेक्षानुसार की जाने वाली प्रविष्टियों के अतिरिक्त, निरीक्षक को अगले निरीक्षण के लिए जलशक्ति सम्बन्धी परीक्षण (हाइड्रोलिक टेस्ट) ताप परत को हटाने (लैगिंग), ईंट की चिनाई या अन्य छिपाए हुए भागों के सम्बन्ध में, अपनी आवश्यकताओं का, यदि कोई हों, उल्लेख अभ्युक्ति के स्तम्भ में करना चाहिए जिससे कि स्वामी उस समय तक उसे यथोचित रूप से तैयार कर ले। उसे उसी स्थान में किसी ऐसे भाग की मरम्मत या उसके नवीकरण के सम्बन्ध में, जिसे केवल प्रमाण-पत्र की अवधि के लिए उपयुक्त समझा जाय, अपनी आवश्यकताओं का भी उल्लेख करना चाहिए।

मरम्मत के स्तम्भ में, उसे मरम्मत का वर्ष और की गई मरम्मतों का विवरण दर्ज करना चाहिए। केवल महत्वपूर्ण मरम्मतों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। ब्वायलर की हालत के सम्बन्ध में कोई अभ्युक्ति न होने पर यह समझा जायगा कि ब्वायलर अच्छी हालत में है।

15—प्रमाण-पत्र तथा अस्थायी आदेशों को जारी करना—उन मामलों में जिनमें निरीक्षक अतिरिक्त अभिदेश के बिना धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हो, प्रमाण-पत्र साधारणतया निरीक्षण पूरा होने के 72 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए। जब कोई निरीक्षक धारा 9 के अधीन कोई अस्थायी आदेश दे तो उसे मुख्य निरीक्षक को अवश्य ही यह सूचना देनी चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया है।

4—निर्माणाधीन ब्वायलरों, बाष्प पाइपों, इकनोमाइजरों या उनके भागों के परीक्षण के लिए अनुदेश।

16—सामानों का परीक्षण करते समय निरीक्षण अधिकारी उनके भागों पर मुहर लगाने के पूर्व, विनियमों की अपेक्षानुसार स्टील बनाने वालों के मल परीक्षण प्रतिवेदनों से सामानों की स्वीकार्यता का सत्यापन करेगा।

Scanned with CamScanner

17—(क) जब विनियमों के फार्म 4 में स्टील बनाने वालों के प्रमाण-पत्र, जो प्रसिद्ध स्टील बनाने वालों या किसी मान्यताप्राप्त निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों, उपलभ्य हो जायं तो ब्वायलरों के निर्माण में प्रयोग के लिए उसके द्वारा सामानों पर मुहर लगाई जा सकती है, यदि वे अच्छी दशा में पाए जायं।

(ख) जब ब्वायलरों या उनके भागों के निर्माण में प्रयुक्त सामान परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाय तो वह परीक्षण के परिणामों को लिखेगा।

18—किसी ब्वायलर या उसके भागों अथवा वाष्प रिसीवरों, सेपरेटरों आदि का प्रत्येक स्तर पर परीक्षण करने के पश्चात् वह बनाने वालों को तत्काल यह परामर्श देगा कि वे निर्माण के अगले स्तर का कार्य करना आरम्भ कर दें। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि निर्माण-कार्य का स्तर विनियमों की अपेक्षाओं से कम न हो।

19—जब ऐसे भागों पर रेडियोग्राफिक परीक्षण किए जाय, जिन पर विनियमों के अधीन ऐसा परीक्षण करना अपेक्षित हो, तो रेडियोग्राफिक परीक्षण का प्रभारी निरीक्षण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित फिल्म की पहिचान की जांच परीक्षणाधीन भाग से करेगा और उसे अपनी डायरी में लिखेगा।

20—वह रेडियोग्राफिक परीक्षणों के पश्चात् निर्माता द्वारा वेल्डेड सीम्स में किए गए सभी परिशोधनों और मरम्मतों का भी अभिलेख रखेगा।

21—ब्वायलर, उसके भागों, वाष्प रिसीवरों या सेपरेटरों आदि का निर्माण पूरा हो जाने पर सभी व्योरों की जांच करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व विनियमों के फार्म 2, 3, 3-ए, 3-बी या 3-सी में विवरण दर्ज करेगा।

Scanned with CamScanner